A2
7

12/10/22

अधिवक्तागण उपस्थित, पत्रावली मे
पूर्व मे लिखित बहस समाप्त की
जा चुकी है। पत्रावली मे लिखित
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर
नत्थी किया गया, वकील वादी को
स्टाम्प शुल्क हेतु स्टाम्प प्रस्तुत करने
की हिदायत दी गयी। वकील वादी द्वारा
स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए गये अतः
पृथक से डिक्री पर्चा जारी किया
जाता है। पत्रावली मे अन्य कोई
कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है।
पत्रावली नत्थीबद्ध हो, पत्रावली
दाखिल पंजिका के क्रम से दर्ज की
जाकर अभिलेख की सूची मे शामिल हो।

Sd/-

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीना आर.ए.एस.
वाद संख्या 36/2018
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रामुराम उर्फ बुध राम पुत्र श्री रणजीता राम आयु 72 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड न0 8, 7 डी बड़ी, रेणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ..... वादी

ब ना म

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादी

उपस्थित– श्री बलराम सुथार (अधिवक्ता वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–1)

दिनांक 12 अक्टुबर, 2022

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के पास चक 6 डी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/30, मुरब्बा नम्बर 12 का किला नं0 6 में 0.228 हैक्टेयर नहरी, 7 में 0.253 हैक्टेयर, 8 में 0.253 हैक्टेयर, 9 में 0.253 हैक्टेयर, 10 में 0.253 हैक्टेयर, 11 में 0.253 हैक्टेयर, 12/1 में 0.057 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार से 1.550 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 8 सी बड़ी के खाता संख्या 66/47 के मुरब्बा नम्बर 58 में किया नं0 6 ता 10 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर नहरी कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी दर्ज है, जिसमें वादी का नाम रामू राम पुत्र रणजीता राम अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 व 2067 से 2070 की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न वाद की गई। वादी को परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेह व लाड के कारण घर में रामू राम व बुध राम के नाम से पुकारा जाता था तथा कुछ दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में नाम बुध राम पुत्र श्री रणजीता राम अंकित हुआ तथा वादी को गांव में रामू राम व बुधराम के नाम से जाना व पहचाना जाता है, परन्तु जमाबन्दी में अकेला रामू राम अंकित होने से वादी को कृषि भूमि सुधार के लिए बैंक या अन्य वित्तिय संस्थाओं से ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई आती है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में जहां भी रामू राम अंकित है के साथ उर्फ़ बुधराम पृष्ठांकन करने हेतु कई बार पटवारी हल्का व उप–तहसीलदार हिन्दूमलकोट को निवेदन किया, परन्तु उनके द्वारा उक्त संसोधन नहीं किया गया, जबकि वादी द्वारा अपने तमाम दस्तावेजात जिनका उल्लेख वाद पत्र की चरण संख्या 3 में किया गया है, प्रस्तुत किये तथा इसके साथ सरपंच ग्राम पंचायत मदेरां द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें उक्त दोनों नाम (रामूराम उर्फ बुधराम) वादी के ही होना अंकित है प्रस्तुत किया तथा संधोधन करने हेतु निवेदन किया, परन्तु उनके द्वारा संशोधन न कर दिनांक 15.03.2018 को साफ इनकारी हुए जो कि यही वाद कारण है। वादी की कृषि भूमि चक 6 डी बड़ी व 8 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है, तथा वादी का निवास ग्राम 7 डी बड़ी, रेणूकां में है जो श्रीमान न्यायालय की परिसीमा में है, इस कारण वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने से वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये दावा वादी के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः– (क) डिक्री वादी के पक्ष में इस आशय की पारित की जावे कि वादी की कृषि भूमि स्थित चक 6 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/30, मुरब्बा नम्बर 12 का किला नं0 6 में 0.228 हैक्टेयर नहरी, 7 में 0.253 हैक्टेयर, 8 में 0.253 हैक्टेयर, 9 में 0.253 हैक्टेयर, 10 में 0.253 हैक्टेयर, 11 में 0.253 हैक्टेयर, 12/1 में 0.057 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार से 1.550 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 8 सी बड़ी के खाता संख्या 66/47 के मुरब्बा नम्बर 58 में किया नं0 6 ता 10

A2/19

प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर नहरी कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी में जहां रामू राम अंकित है के साथ उर्फ बुधराम अंकित किया जावे तथा इसके पूर्व में अगर राजस्व रिकार्ड में अकेला रामू राम अंकित के साथ इसी प्रकार से उर्फ बुधराम पृष्ठांकन करने की घोषणा करते हुए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर को आदेश किया जावे।

दिनांक 29.06.2018 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

दिनांक 27.07.2022 को वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसके तथ्यों के अनुसार वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट का माननीय न्यायालय में इस आशय से पेश किया गया कि वादी के नाम चक 6 डी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/30 मु0 नं0 12 का किला नं0 6 में 0.228 है0 नहरी व किला नं0 7 ता 11 सालम व किला नं0 12/1 में 0.057 है0 नहरी कुल 1.550 है0 नहरी कृषि भूमि व चक 8 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/27 के मु0 नं0 58 के किला नं0 6 ता 10 प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 1.265 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का नाम रामूराम पुत्र रणजीता राम जाति नायक निवासी रेणुका अंकित है और वादी को घर परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेह के कारण बुधराम के नाम से भी पुकारा जाता हैं इस कारण वादी के कई दस्तावेजों पर बुधराम पुत्र रणजीता राम अंकित हुआ है जिसमें आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र राशन कार्ड में बुधराम अंकित हुआ है इससे वादी को बैंक सुविधा व राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चल रही योजनओं से वंचित होना पड़ रहा है। इस कारण वादी द्वारा यह वाद अपने नाम रामूराम के साथ उर्फ में बुधराम पुत्र रणजीता राम की घोषणा करवाने हेतु पेश किया गया जो कि दर्ज कर अप्रार्थी की तलबी जरीए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर की गई और तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर वादी के ब्यानात दर्ज करवाये गये जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा कायम तनकीयात वादी द्वारा अपने शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा स्पष्ट कर दी गई जो कि इस प्रकार है। माननीय न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी सं0 1. क्या चक 8 सी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 66/47 मु0 नं0 58 में रामूराम पुत्र रणजीता राम के नाम पर 1.265 है0 कृषि भूमि एवं चक 6 डी बड़ी तहसील व ज़िला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2067–2070 के खाता संख्या 41/30 के मु0 नं0 12 में रामूराम पुत्र रणजीता राम के नाम पर 1.331 है0 कृषि भूमि दर्ज है इस तनकीयात को स्पष्ट करने का भार वादी का था जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी चक 8 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/47 के मु0 नं0 58 की पेश की गई जिसमें वादी के नाम 1.265 है0 दर्ज रिकार्ड है व चक 6 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/30 मुरब्बा नं0 12 में वादी के नाम कुल 1.331 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार वादी द्वारा न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 01 को साबित कर दिया गया है। इस कारण वाद स्वीकार करने योग्य है। न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 2 जिसे साबित करने का भार भी वादी पर था। जिसमें क्या वादी को परिवार के सदस्यों द्वारा रामूराम व बुधराम के नाम से पुकारा एवं गांव वालों द्वारा रामूराम एवं बुधराम के नाम से जाना जाता है। इसमें वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड जिसमें बुधराम पुत्र रणजीता राम के नाम से बना हुआ है जो कि प्रदर्श है एवं राशन कार्ड जो कि बुधराम पुत्र रणजीता राम के नाम से बना हुआ है जिसका बार कोड सं0 006438000213 पर जारी किया हुआ है जो कि प्रदर्श है एवं वादी का मतदाता पहचान पत्र जो वर्ष 15.04.1995 को जारी हुआ है जिस पर भी वादी का नाम बुधराम पुत्र रणजीता राम दर्ज है जो कि प्रदर्श 5ए दिनां 15.01.2019 है एवं ग्राम पंचायत मदेरा पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.03.2018 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रामूराम उर्फ बुधराम पुत्र रणजीता राम जाति नायक निवासी रेणुका दो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया गया है जो कि प्रदर्श 3 है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत मदेरां के हस्ताक्षर है इस प्रकार वादी द्वारा तनकी सं0 2 को भी स्पष्ट रूप से साबित किया जा चुका है इस प्रकार से भी वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

12.10.22

सहायक कलक्टर एव

A2
28

यह कि न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 3 जिसमें क्या वादी अपना नाम रामूराम उर्फ बुधराम पुत्र रणजीता राम के नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी है, जिसे भी स्पष्ट करने का भार वादी पर था। जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं समाचार पत्र हासल दिनांक 19 सितम्बर, 2018 में वादी द्वारा दी गई सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रामूराम उर्फ बुधराम पुत्र रणजीता राम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है एवं राजस्व रिकार्ड में रामूराम के आगे उर्फ बुधराम दर्ज करवाने हेतु माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो माननीय न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकता है। परन्तु आज तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है जो कि प्रदर्श 6 है। इससे भी वादी अपने नाम के आगे उर्फ बुधराम करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी द्वारा तनकी सं0 3 भी स्पष्ट कर दी गई। न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 4 जिसे भी सिद्ध करने का भार वादी का था जिसमें क्या किसी राजस्व अभिलेख में रामूराम उर्फ बुधराम पुत्र रणजीता राम दर्ज है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर को एक पत्र कमांक 6051 दिनांक 17.12.2019 जारी किया गया जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में शुद्धि चाही गई है कि रामूराम के आगे उर्फ बुधराम अंकित करवाना चाहता है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई गई है जिसमें तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा हल्का पटवारी से मौके एवं रिकार्ड की जांच करवाई गई। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा मौके पर फर्द मौका रोबरु गवाहान बनाया गया जिसमें मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा अपने हस्ताक्षर कर बताया कि रामूराम उर्फ बुधराम पुत्र रणजीता राम एक ही व्यक्ति के नाम है और मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र पर बुधराम पुत्र रणजीता राम के नाम से जारी किये गये है। इस प्रकार तनकी सं0 4 भी वादी द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। अतः वाद वादी स्वीकार करने योग्य है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र एवं सार्वजनिक सूचना के आधार पर एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वाद डिकी किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वादी के नाम रामूराम के आगे उर्फ बुधराम घोषित किया जा कर डिकी जारी की जावे कि चक 6 डी वड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/30 के मु0 नं0 12 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि एवं चक 8 सी वड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/47 मुरब्बा नं0 58 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि 1.205 है0 भूमि में जहां वादी का नाम रामूराम दर्ज है वहां उर्फ बुधराम अंकित किया जावे व तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर को आदेश दिये जावे कि राजस्व रिकार्ड में रामूराम उर्फ बुधराम पुत्र रणजीता राम का नाम अंकन किया जावे।

वकील वादी द्वारा शपथ–पत्र वीरूराम पुत्र रणजीता राम जाति नायक निवासी रेणुका तह0 व जिला श्रीगंगानगर तथा पेमी पुत्री रणजीता राम जाति नायक निवासी रेणुका तह0 व जिला श्रीगंगानगर का प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय तहसीलदार भू0 अ0 श्रीगंगानगर के पंत्राक भू.अ./2020/405 दिनांक 10.02.2020 के अनुसार पटवारी हल्का दुल्लापुरकैरी से रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार मौका पर उपस्थित लोगो ने बताया कि वादी का नाम रामूराम पुत्र रणजीता राम का अन्य नाम बुधराम है तथा रामूराम व बुधराम एक ही व्यक्ति है।

आदेश

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं अभिलेखीय साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्य स्वरुप चक 8 सी वडी के राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2068–2071 प्रदर्श 1, चक 6 डी वडी के राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2067–2070, प्रदर्श 2, कार्यालय ग्राम पंचायत मदेरां द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06.03.2017, प्रदर्श 3, भारत सरकार द्वारा जारी वादीगण के आधार कार्ड क्रमशः प्रदर्श 4 ए, दिनांक 15.01.2019, निर्वाचन पहचान पत्र संख्या

12.10.22
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

A2
29

RJ/1/007/096101 प्रदर्श 5 ए, तहसीलदार भू0 अ0 के पंत्राक भू.अ./2020/405 दिनांक 10.02.2020 के अनुसार पटवारी हल्का दुल्लापुरकैरी दैनिक डायरी व फर्द मौका दिनांक 17.01.2020, पर मौजुद व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं प्रदर्श 6, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ सार्वजनिक सूचना के अनुसार जमाबन्दी में रामूराम उर्फ बुधराम नाम दर्ज किया जाकर चक 6 डी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/30, मुरब्बा नम्बर 12 का किला नं. 6 में 0.228 हैक्टेयर नहरी, 7 में 0.253 हैक्टेयर, 8 में 0.253 हैक्टेयर, 9 में 0.253 हैक्टेयर, 10 में 0.253 हैक्टेयर, 11 में 0.253 हैक्टेयर, 12/1 में 0.057 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार से 1.550 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 8सी बडी के खाता संख्या 66/47 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर नहरी, इस प्रकार कुल 1.265 है0 नहरी में वादी का नाम रामूराम की जगह रामूराम उर्फ बुधराम अंकित किया जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को नियमानुसार नाम दुरूस्ती करने हेतु प्रेषित हो यथा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 12 अक्टुबर, 2022 को जारी किया गया।

12.10.22

मनोज कुमार मीना
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

A7
1

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

वाद संख्या 36 / 2018
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रामुराम उर्फ बुध राम पुत्र श्री रणजीता राम आयु 72 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड न0 8, 7 डी बड़ी, रेणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .... वादी

ब ना म

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादी

उपस्थित– श्री बलराम सुथार (अधिवक्ता वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–1)

दिनांक 12 अक्टुबर, 2022

वाद संख्या 36 / 2018
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री बलराम सुथार व पैरोकार राज प्रतिवादी– 01 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

जमाबन्दी में रामूराम उर्फ बुधराम नाम दर्ज किया जाकर चक 6 डी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41 / 30, मुरब्बा नम्बर 12 का किला नं. 6 में 0.228 हैक्टेयर नहरी, 7 में 0.253 हैक्टेयर, 8 में 0.253 हैक्टेयर, 9 में 0.253 हैक्टेयर, 10 में 0.253 हैक्टेयर, 11 में 0.253 हैक्टेयर, 12 / 1 में 0.057 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार से 1.550 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 8 सी बडी के खाता संख्या 66 / 47 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर नहरी, इस प्रकार कुल 1.265 है0 नहरी में वादी का नाम रामूराम की जगह रामूराम उर्फ बुधराम अंकित किया जावे। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 12 अक्टुबर, 2022 को जारी की गयी।

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A7/2

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर